फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

नोरंगलाल बनाम **रामरख**

किस्म मुकदमा ,53 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 752 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
21.08.2020	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद प.त्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08.10.2020 को पेश हो।	
8/10/20	पत्रावली पेश हुई राजस्व मण्डल के परिपत्र दिनांक 21.0.2020 के दिशा निर्देशन अनुसार पत्रावली दिनांक .....को पेश हो। 9.2.21	
9/2,	वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तलबी हेतु रजि. सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 20/4/21 को पेश हो।	
20/4/21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब प्रतिवादीगण का सत्यापन नहीं हुआ। पत्रावली दि0 .....को पेश हो। 29.6.21	
29/6/21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अभी तक प्रतिवादीगण का सत्यापन नहीं हुआ है। पत्रावली दि0 .....को पेश हो। 8.9.21	
8/9/21	पत्रावली पेश हुई श्री ... पी.ओ. साहब ... पत्रावली दि0 11/10/21 को पेश हो।	
11/10	~~पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान पैरा कानसर में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की पत्रवाला का मामला में समाधान हो गया है इसलिये वाद नहीं चलाना चाहते रवारिज फरमावे वादी उपक्रम के द्वारा अपना वाद नहीं चलाने के कारण रवारिज किया जाए व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।~~	वादी नहीं चलाना चाहता है

Scanned with CamScanner